न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–10 / 2013

1. जेठाराम पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं.–17 अनूपगढ जिला श्री गंगानगर
2. इन्द्राज पुत्र श्री सुरजा राम जाति मेघवाल साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर
3. रामस्वरूप पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर
4. किशनी पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर

—— **वादीगण**

बनाम्

1. पीराराम पुत्र श्री गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी चक 24 ए तहसील अनूपगढ़
2. पूर्णराम पुत्र श्री अमराराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए तहसील अनूपगढ
3. धन्नाराम पुत्र श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
4. पतराम पुत्र श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी 7 पीजीएम
5. रमेश पुत्र श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी 79 जीबी तहसील अनूपगढ़
6. पदमा पुत्री श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी 13 ए तहसील अनूपगढ
7. सुगनी पत्नी आशाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
8. बुधादेवी पत्नी शंकर जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
9. नारायण पुत्र शंकर जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
10. कालू पुत्र श्री शंकर जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
11. मदन पुत्र शंकर जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
12. भागवंती पुत्री शंकर जाति मेघवाल निवासी 67 आरबी तहसील रायसिंहनगर
13. लिछमा पुत्री श्री शंकर जाति मेघवाल निवासी बीकानेर
14. बाना पुत्री शंकर जाति मेघवाल निवासी 6 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
15. मोना पुत्री शंकर पत्नी पवन कुमार जाति मेघवाल निवासी आरसीपी कालोनी अनूपगढ
16. मुखराम पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल साकिन 22 ए तहसील अनूपगढ़
17. अर्जनराम पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल साकिन 22 ए तहसील अनूपगढ
18. चुनीलाल पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल साकिन 22 ए तहसील अनूपगढ
19. रूकमा पुत्री टीकूराम पत्नी कानाराम जाति मेघवाल निवासी 3 डी.ओ.एल. तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर
20. नौजा पुत्री टीकूराम पत्नी शंकर जाति मेघवाल निवासी डब्बर तहसील घडसाना
21. अन्नू पुत्री टीकूराम पत्नी अजीताराम जाति मेघवाल निवासी डब्बर तहसील घडसाना
22. सोना पुत्री टीकूराम पत्नी श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी चक 11 एएस तहसील श्री विजयनगर
23. पुरखाराम पुत्र श्री बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
24. मनफुल पुत्र श्री बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं.–19 अनूपगढ़
25. गोमन्दराम पुत्र श्री बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं.–16 अनूपगढ़
26. गुमानाराम पुत्र श्री बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए तहसील अनूपगढ़
27. बीरबलराम पुत्र श्री बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी 72 जीबी तहसील अनूपगढ़
28. जसली पुत्री बिशनाराम पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल निवी डब्बर तहसील घडसाना
29. उप पंजीयक अनूपगढ़
30. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़
31. बिदामी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी मुंशीराम जाति मेघवाल निवासी 11 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 14:56:55 IST
Reason: SelfAttested

32. रूकमा देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी ठाकरराम जाति मेघवाल निवासी भारूखेड़ा तहसील चौटाला (हरियाणा)
33. तीजादेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी पृथ्वीराम जाति मेघवाल निवासी गांव 24 पीटीडी तसहील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
34. पूर्णराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी समेजाकोठी, तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
35. सुगना देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
36. कालूराम पुत्र. रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
37. सुन्दर पुत्री केशाराम पत्नी चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी राणेर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर
38. कानड़ी पुत्री केसाराम पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बिलोचिया तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

-----**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–16 / 04 / 2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के पिता पुरा वल्द मदा ग्राम सिराजसर के खसरा नं.–120 का 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त थे उपनिवेशन तहसीलदार राज. नहर परियोजना अनूपगढ़ द्वारा जारी परचा खातौनी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के वालिद पूरा वल्द मदा का देहांत वर्ष 1976 में हो चुका है। जिसके देहांत उपरांत उसके दो वारिस जेठाराम वादी सं.–1 वा सुरजाराम थे, जिसमे सुरजाराम पुत्र पुरा का देहांत वर्ष 1980–1981 में हो गया। जिसके वादी सं.–2 व 3 इन्द्राज, रामस्वरूप, रामचन्द्र व भागोदेवी हुए जिसमें रामचन्द के देहान्त उपरांत वादी सं.–4 उसकी विधिक वारिस है तथा भागोदेवी का भी देहांत हो चुका है। इस प्रकार वादीगण मृतक आवंटी पूरा वल्द मदा के विधिक एवं जायज वारिसान है और यह वाद पेश करने के अधिकारी है। वादीगण के वालिद पुरा वल्द मदा का देहांत वर्ष 1976 में हो चुका है। जिनके देहांत उपरांत उसके दो वारिसान वादी सं.–1 व सुरजा राम थे। जिनमें सुरजाराम पुत्र पुरा का देहांत वर्ष 1980–81 में हो गया तथा सुरजाराम के एक पुत्र रामचन्द्र का भी देहांत हो गया तथा सुरजाराम की पत्नी भागोदेवी का देहांत हो गया इस प्रकार वर्तमान में वादीगण मूल आवंटी पुरा वल्द मदा के जायज एवं विधिक वारिसान है। मूल आवंटी पूरा वल्द मदा को ग्राम सिरोजसर का खसरा नम्बर 120 मे 20.16 बीघा भूमि आवंटन हुई थी तथा परचा खातौनी भी उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी की हुई है। आवंटी पुरा वल्द मदा का उक्त 20.16 बीघा भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा था। तत्पश्चात ग्राम सिराजसर क खसरा नम्बर 120 का उक्त रकबा. राजस्व विभाग द्वारा चक बंदी, मुरब्बा बंदी एवं किला बंदी में पैमूद हुई ग्राम सिराजसर का खसरा नम्बर 120 के 20बीघा 16 बिस्वा पुरा वल्द मदा के नाम पैमूद हुई में चक 14 एसजेएम बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.– 13 का किला नम्बर 1ता12 के 12 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित हुई। मूल आवंटी पुरा वल्द मदा के धारण में ग्राम सिराजसर का खसरा नम्बर 120 में 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि थी, लेकिन चक बंदी, मुरब्बा नम्बर, किला नम्बर पैमुद करते समय राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहवन से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में चक 14 एसजेएम बी का मुरब्बा नं.–13 पत्थर संख्या–281 / 380 के किला नम्बर 1ता12 के 12 बीघा पुरा वल्द मदा के नाम से अंकन कर दिए और शेष बची 9 बीघा भूमि चक 14 एसजेएम बी का मुरब्बा नं. –281 / 379 के किला नम्बर 17ता23,24,25 के 9 बीघा वा चक 14 एसजेएम ए का मुरब्बा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 14:56:55 IST
Reason: SelfAttested

–280/381 के किला नम्बर 5ता25 के 21 बीघा मे पुरा वल्द मदा का 1/4 हिस्सा, केशा, गिरधारी पिसरान टोडा का 2/4 हिस्सा, टीकुराम, पुरखाराम, मनफुल, गोमन्द राम पिसरान बिशनाराम जसली दुखतर बिशनाराम व सरदारी देवी बिशनाराम का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न है। वादीगण के वालिद पुरा वल्द मदा ग्राम सिराजसर के खसरा नम्बर 120 की 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त थे और विभाग द्वारा उक्त रकबा पैमुद करते समय वादीगण के वालिद को जो भूमि पूरे 21 बीघा प्राप्त हुई, वह चक 14 एसजेएम बी का मुरब्बा नं.–281/380 का किला नम्बर 1ता12 के 12 बीघा वा मुरब्बा नं.–281/379 के किला नम्बर 17ता25 के 9 बीघा कुल 21 बीघा प्राप्त हुई। जिस पर पुरा वल्द मदा का उनके जीवनकाल में लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त रहा तथा उनके देहांत उपरांत उसके विधिक वारिसान होने के नाते वादीगण का इस भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। मौका पर आज भी कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा है एवं फसल काश्त की हुई खड़ी है। जिस संबंध मे पूर्व में उपनिवेशन विभाग के तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट संलग्न वाद पत्र है। वादीगण यहां यह स्पष्ट करते है कि चक 14 एसजेएम बी का मुरब्बा नं.–281/380 के किला नम्बर 1ता12 के 12 बीघा जो पुरा वल्द मदा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। इस भूमि का कोई विवाद नही है, बल्कि पुरा वल्द मदा की जो शेष 9 बीघा भूमि मुरब्बा नं.–281/379 के किला नम्बर 17ता25 के 9 बीघा है जो पुरा वल्द मदा की संयुक्त रूप से सहबन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, का विवाद है, जिसे आईन्दा वाद पत्र मे विवादित भूमि कहा जावेगा। केशा, गिरधारी पिसरान टोडा, टीकूराम, पुरखाराम, मनफूल, गोमन्दराम, गुमानाराम, बीरबल पिसरान किशनाराम जसल दुख्तर बिशनाराम, सरदारी बेवा बिशनाराम के प्रतिवादी सं.–1ता29 विधिक एवं जायज वारिसान है। केशा, गिरधारी पिसरान टोडा, टीकूराम, पुरखाराम, मनफूलराम, गोमन्दराम, गुमानाराम, बीरबल पिसरान किशनाराम,जसली दुख्तर बिशनाराम सरदारी बेवा बिशनाराम के प्रतिवादी सं.–1ता29 एवं प्रतिवादी सन्दर–कानुडी दुख्तर केशाराम विधिक एवं जायज वारिसान है। केशा, गिरधारी पिसरान टोडा व टीकूराम आदि के पास 21 बीघा भूमि थी। जिस कृषि भूमि की चक बंदी, मुरब्बा बंदी पैमुद होने पर इनके पास चक 14 एसजेएम ए का मुरब्बा नं.–34 नम्बर 280/381 का किला नम्बर 5ता25 के 21 बीघा प्राप्त हुई। जिस पर ही इनका कब्जा काश्त था और चक 14 एसजेएम बी का मुरब्बा नं.–281/379 के किला नम्बर 17ता25 के 9 बीघा पुरा वल्द मदा के कब्जा काश्त में थी। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय कर्मचारियों द्वारा सहवन से इन दोनों कृषि भूमि को संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया गया। उक्त दोनों चको की संयुक्त दर्ज हुई भूमि में पुरा वल्द मदा की 1/4 हिस्सा, केशा का 1/4 हिस्सा, गिरधारी का 1/4 हिस्सा वा टीकूराम आदि का 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया। जबकि वास्तव मे पूरा वल्द मदा को छोड़ कर शेष तीनों हिस्सेदारान के पास 21 बीघा जमीन थी, जिसमें गिरधारी के वारिस प्रतिवादी सं.–1 पीराराम को 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया। जबकि वास्तव मे पूरा वल्द मदा को छोड़ कर शेष तीनों हिस्सेदारान के पास 21 बीघा जमीन थी, जिसमें गिरधारी के वारिस प्रतिवादी सं.–1 पीराराम को 1/3 हिस्सा अनुसार 7 बीघा भूमि प्राप्त होती है तथा शेष भूमि मे केशाराम के वारिसान प्रतिवादी सं.–2ता15 को 1/3 हिस्सा यानि 7 बीघा भूमि प्राप्त हुई और टीकूराम आदि की 1/3 हिस्सा यानि 7 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. –16ता24 को प्राप्त हुई। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय इन हिस्सेदारों की जमीन अधिक दर्ज कर दी गई जो कि उनके हिस्सा से अधिक है, जिससे वादीगण की कृषि भूमि 9 बीघा रिकॉर्ड अनुसार पूरी नहीं होती है, लेकिन प्रतिवादी सं. पीराराम इसी सहवन से दर्ज रिकार्ड अनुसार अपने हिस्सा में आई भूमि से अधिक भूमि प्रतिवादी के लालचवश मौजूदा रिकार्ड अनुसार अपने हिस्सा भूमि को अन्यत्र बेचान करने का प्रयास रत है। जिसके संबंध में प्रतिवादी सं. –1 करार भी अन्य व्यक्ति के साथ कर चुका है। उक्त दोनों चकों की संयुक्त दर्ज कृषि भूमि में पुरा वल्द मदा का 1/4 हिस्सा, केशा का 1/4 हिस्सा गिरधारी का 1/4 हिस्सा व बिशना का 1/4 हिस्सा था जबकि वास्तव मे चक 14 एसजेएम ए का मुरब्बा नं.–280/381 के किला नं. –5ता25 मे 21 बीघा चारों हिस्सेदारान के पास थी, जिसमे पुरा वल्द मदा का 1बीघा10 बिस्वा (किला नं.–5 से 10 में 1/4 हिस्सा) तथा शेष रही भूमि में उक्त शेष तीनों हिस्सेदारान में केशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 14:56:55 IST
Reason: SelfAttested

का 1/3 हिस्सा, गिरधारी का 1/3 हिस्सा वा बिशना वगैरह का 1/3 हिस्सा था, जिसमें पुरा वल्द मदा का 1 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा वादी सं.–1 पीराराम के 1/3 हिस्सा अनुसार भूमि प्राप्त होती है तथा भूमि के केशाराम के वारिसान प्रतिवादी सं–2ता15 प्रतिवादी सुन्दर व कालुडी का हिस्सा 1/3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई और बिशना का 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं.–16ता28 को प्राप्त हुई लेकिन राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय इस हिस्सेदारान की जमीन भी अधिक दर्ज कर दी गई जो कि उनके हिस्सा से अधिक है जिससे वादीगण की कृषि भूमि 9 बीघा रिकार्ड अनुसार पूरी नहीं होती लेकिन प्रतिवादी सं.–1 पीराराम इसी सहबन से दर्ज रिकार्ड अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि से अधिक भूमि प्राप्त होने के लालचवश मौजूदा रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि से अधिक भूमि प्राप्त होने के लालचवश मौजूदा रिकार्ड अनुसार अपने हिस्सा भूमि को अन्यत्र बेचान करने प्रयासरत है जिसके संबंध में प्रतिवादी सं.–1 करार भी अन्य व्यक्ति के साथ कर चुका है। राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय जो सहबन से चक 14 एसजेएम बी का मुरब्बा नं. –281/380 के किला नं.–17ता25 के 9 बीघा संयुक्त रूप से दर्ज हुई है उसको वादीगण दुरूस्त करवाकर अकेले नाम से पूरा वल्द मदा के अधिकार के तहत वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। वादीगण के पिता/दादा पुरा वल्द मदा अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश के थे। जिन्होनें राजस्व रिकॉर्ड की हुई उक्त त्रुटि के बारे में पता नही चल सका तथा उक्त त्रुटि सहबन से राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सद्भाविक भूलवश रिकॉर्ड मे संयुक्त रूप से जमीन दर्ज हो गई। जबकि वास्तविक तौर पर पुरा वल्द मदा विवादित भूमि चक 14 एसजेएम बी मुरब्बा नं.–281/379 के किला नम्बर 17ता25 के 9 बीघा भूमि कब्जा काश्त मे उनके जीवनकाल तक रही तथा उनके देहांत उपरांत वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा प्रतिवादी सं.–1 ता29 के वालिदों के हिस्सा अनुसार उनकी 21 बीघा भूमि चक 14 एसजेएम ए का मुरब्बा नं.–280/381 के किला नम्बर 5ता25 के 21 बीघा पर कब्जा काश्त रहा जो अब प्रतिवादी सं.–1ता29 के अपने अपने हिस्सानुसार कब्जा काश्त में है। जो पूर्व में सहमति अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है।वादीगण के दादा/पिता पुरा वल्द मदा अनपढ़ वा ग्रामीण परिवेश के थे, जिन्होंने राजस्व रिकार्ड मे हुई उक्त त्रुटि के बारे मे पता नहीं चल सका तथा उक्त त्रुटि सहबन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सद्भाविक भूलवश रिकार्ड में संयुक्त रूप से जमीन दर्ज हो गई जबकि वास्तविक तौर पर पुरा वल्द मदा का विवादित भूमि चक 14 एसजेएम बी का मुरब्बा नं.–281/380 का किला नं.–1ता12 के 12 बीघा, मुरब्बा नं.–281/379 के किला नं. –17ता25 के 9 बीघा कुल 21 बीघा पर उनके जीवनकाल में उनका कब्जा काश्त रहा तथा उनके देहांत उपरांत वादी सं.–1 एवं अन्य वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा चक 14 एसजेएम ए का मुरब्बा नं.–280/381 के किला नम्बर 5ता25 में 21 बीघा चारों हिस्सेदारान के पास थी जिसमें पुरा वल्द मदा का किला नं.–5ता10 में 1/4 हिस्सा तथा शेष रही भूमि मे उक्त शेष तीनों हिस्सेदारान के केशा का 1/3 हिस्सा, गिरधारी का 1/3 हिस्सा व बिशना का 1/3 हिस्सा था, जिसमें पुरा वल्द मदा का 5ता10 बीघा हिस्सा वादी सं.–1 एवं अन्य वादीगण को व गिरधारी के वारिस प्रतिवादी सं.–1 पीराराम को 1/3 हिस्सा प्राप्त होती है तथा शेष भूमि मे केशाराम के वारिसान प्रतिवादी सं.–2ता15 प्रतिवादी सुन्दर व कानुडी को 1/3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई और टीकूराम को 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं.–16ता28 को प्राप्त हुई और इसी अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण को उक्त हुई राजस्व रिकार्ड की त्रुटि का पता चलने पर वादीगण ने प्रतिवादी सं.–1 को कई बार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने व विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में पुरा वल्द मदा के नाम से दर्ज करवाने का कई बार कहा तो प्रतिवादी सं.–1ता29 द्वारा हर बार इंकार कर ऐसा करवाने का आश्वासन दिया जाता रहा। लेकिन अब प्रतिवादी सं.–1 संयुक्त हिस्सा दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर बिना रिकॉर्ड की दुरूस्ती करवाए एवं बिना खाता विभाजन करवाए अपने हिस्सा से अधिक हिस्सा भूमि को बेचने को आमदा है तथा वादीगण को प्रतिवादी सं.–1 के इस अविधिकपूर्ण कृत्य का पता चलने पर वादीगण ने अरसा पांच रोज पूर्व प्रतिवादी सं.–1 को रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का कहा तो प्रतिवादी सं.–1 ऐसा करने से साफ इंकार हो गया और स्पष्ट धमकी दी कि उसने तो जमीन बेचने का सौदा कर लिया। अब वह शीघ्र ही जमीन बैचान कर देगा और आपको जबरन

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 14:56:55 IST
Reason: SelfAttested

जमीन से बेदखल करो। जिस संबंध में प्रतिवादी सं.–2ता29 ने भी वादीगण का कोई सहयोग देने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी सं.–1 अपने हिस्सा से अधिक हिस्सा का भूमि का बैचान करने में कामयाब हो गया तो वादीगण को भूमि हिस्सा से कम हो जायेगी और वादीगण अपने हक अधिकारों से भी वंचित हो जाऐंगे। जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 30 को तलब किया गया। तदपरान्त दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 31 से 38 को पक्षकार मुकद्मा जोड़ा गया। प्रतिवादी 1व2,17,23,25 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 30 राज्य पक्ष की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 3ता16, 24, 26, 27 बाद तामिल असालतन व वकालतन उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 18ता22, 28, 31ता38 की तलबी हेतु सम्मन समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादी उपस्थित नही। इसलिए उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य पी डब्ल्यू–1 में समस्त दस्तावेजात को प्रदर्श करवाये गये। वादी जेठाराम अपने शपथ पत्र में बयान किया कि प्रदर्श–1 जमाबंदी मुरब्बा नं.–281/379, प्रदर्श–2 जमाबंदी मुरब्बा नं.–280/381, प्रदर्श–3 जमाबंदी मुरब्बा नं.–281/380 पुरानी जमाबंदी 281/379 प्रदर्श–4 है। पर्चा खातौनी प्रदर्श–5 है। कॉलोनाईजेशन की जमाबंदी 280/381 प्रदर्श–6 है। जमाबंदी कॉलोनाईजेशन की जमाबंदी 281/381 प्रदर्श–7 है। रसीद प्रदर्श–8 है। पर्चा खातौनी प्रदर्श 9व10 है। खसरा गिरदावरी सवंत 2023 ता 2026 लगातार जिसने सहवन से पूरा वगेरह किया गया है प्रदर्श–11 है। पर्चा खातौनी सवंत 1930 राजश्री बीकानेर प्रदर्श–12 है। पर्चा खातौनी सवत् 2015 प्रदर्श–13 है सूची सं.–4 खसरा वार जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण के समस्त रकबा का विवरण है प्रदर्श–14 है। सूची नं.–8 जिसमें नवनिर्धारित क्षेत्र मुरब्बा नं. निर्धारित किया गया प्रदर्श–15 है। प्रथम गिरदावरी जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण के रकबा में प्रथम बार कटिंग की गई प्रदर्श–16 है पर्चा खातौनी प्रदर्श–17 है। नवनिर्मित क्षेत्रफल सुची नं.–8 प्रदर्श –18 गिरदावरी मुरब्बा नं.–280/381 प्रदर्श 19 हैं खसरा गिरदावरी सवत् 2015 जो खसरा नं.–120 की प्रदर्श 22 है। गिरदावरी 281/379 सवत् 2026 में 2030 तनकी प्रदर्श 23 है। खसरा नं.–129 की गिरदावरी प्रदर्श 24 है। वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 25,26,27 है। गिरदावरी सवत् 2031,2032,2033,2034 की प्रदर्श–28 है। उक्त दस्तावेज वादीगण के द्वारा वादपत्र के साथ पेश किये गये। पर्चा खतौनी में वादीगण के पिता पुरा वल्द मदा ग्राम सिराजसर के खसरा नं0 120 का 20–16 बीघा भूमि पर काबिज काश्त थे और विभाग द्वारा उक्त रकबा पैमुद करते समय सूची नं0 4 मुताबिक खसरा नम्बर 120 की वादीगण की भूमि मुरब्बा नं0 281/380 के किला नं0 1,2,9,10,11,कुल 5 बीघा, मु0 नं0 282/380 के किला नं0 5,6,15 कुल 3 बीघा मु.नं. 282/379 का किला नं0 6,15,16,24,25 कुल 5 बीघा एवं मुं.नं. 281/379 का किला नं0 9ता12, 17ता19 कुल 8 बीघा चारो मुरब्बों में कुल 21 बीघा पैमुद हुई। तदोपरान्त सूची संख्या 8 मुताबिक उक्त चारों मुरब्बो की भूमि चक 14 एसजेएम बी के मुरब्बा नं.–13 पत्थर सं. –281/380 के किला नं.–1ता12 एवं इसी चक के मुं0नं0 12 पत्थर सं.–281/379 के किला नं. –17ता25 कुल 21 बीघा भूमि के रूप में पैमुद हुई [illegible] सवत् 2015, सूची संख्या 4 एवं सूची संख्या 8 से होती है। चक 14 एसजेएम बी [illegible] –281/379 के किला नम्बर 17ता25 के 9 बीघा पुरा वल्द मदा के [illegible] रिकॉर्ड तैयार करते समय कर्मचारियों द्वारा सहवन से इन दो[illegible] रूप से दर्ज कर दिया गया। उक्त दोनों चको की संयुक्त दर्ज हुई भूमि में पुरा वल्द मद[illegible] 1/4 हिस्सा, केशा का 1/4 हिस्सा, गिरधारी का 1/4 हिस्सा वा टीकूराम आदि का 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया। जबकि वास्तव मे चक 14 एसजेएम का मु0नं0 281/379 की उक्त 9 बीघा भूमि अकेले पूरा वल्द मदा की है ना कि पूरा वगैरह यानि केशा, गिरधारी, पिरसान टोडा, टीकूराम, पुरखाराम, गोमदराम पिरसान बिशनाराम, जसली दुख्तर बिशना व सरदारी पत्नि बिशनाराम की है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019–2022 में पूरा वगैराह लिपिकिय त्रुटि से अंकित हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 14:56:55 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार मौजा सिराजसर के खसरा नम्बर 129 की 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि पूरा वल्द मदा, केसरा बिशना, गिरधारी पिरसान टोडा के नाम से संयुक्त खाता में थी उक्त भूमि में पूरा वल्द का 1/4 हिस्सा एवं केसरा, बिशना, गिरधारी पिसरान टोडा का 3/4 हिस्सा भूमि है। खसरा नम्बर से चकबन्दी, मुरब्बाबन्दी एवं किलाबन्दी होने पर उक्त 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम सराजसर वर्तमान चक 14 एसजेएम–ए के मुरब्बा नं0 282/382 का किला नं0 2,3,8,9 में 4 बीघा एवं मु0नं0 282/381 के किला नं0 22, 23 में 2 बीघा कुल 6 बीघा भूमि के रूप में मुताबिक सूची नम्बर 4 पैमुद हुई। तदुपरान्त मुताबिक सूची संख्या 8 के उक्त 6 बीघा भूमि मु0नं0 280/381 के किला नं0 5ता10 का 6 बीघा के रूप में पैमुद हुई। इस 6 बीघा भूमि में पूरा वल्द मदा का 1/4 हिस्सा है। (यानि 1बीघा 10 बिस्वा रकबा) किला नं.–5ता10 की शेष भूमि में 3/4 हिस्सा रकबा यानि 4 बीघा 10 बिस्वा में उक्त शेष तीनों हिस्सेदारान केशा का 1/4 हिस्सा, गिरधारी का 1/4 हिस्सा वा बिशना वगैरह का 1/4 हिस्सा था, जबकि इस मु.नं. 280/381 के किला नं0 11ता25 की 15 बीघा भूमि केसा का 1/3 हिस्सा, गिरधारी का 1/3 हिस्सा व बिशना का 1/3 हिस्सा है। किला नं0 11ता 25 में पुरा वल्द मदा का कोई हिस्सा नही है। उक्त तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर संलग्न खसरा नं–129 की पर्चाखतौनी राज श्री बीकानेर, ग्राम सराजसर के खाता नं.–5 के खसरा नं.–129 से संबंधित वर्तमान क्षेत्रफल व नवनिर्धारित क्षेत्रफल से होती है। मूल रिकार्डेड काश्तकार पूरा वल्द मदा, केश, गिरधारी, बिशना पिसरान टोडा का देहान्त हो चुका है। पूरा वल्द मदा के वारिसन जेठाराम, सुरजाराम एवं रामचन्द जिनमें सुरजाराम एवं रामचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। सुरजाराम के वारिसान वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 31ता33 है व रामचन्द के वारिसान वादी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 34ता36 है। मृतक केशाराम पुत्र टोडा के वारिसान अमराराम, आसाराम, शंकर की मृत्यु हो चुकी है। मृतक अमराराम का वारिस प्रतिवादी संख्या 2, मृतक आशाराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 3ता7, मृतक शंकर के वारिस प्रतिवादी संख्या 8ता15 है। मृतक गिरधारी पुत्र टोडा का एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 पीराराम है। मृतक बिशनाराम पुत्र टोडा के वारिसान टीकूराम, पुरखाराम, मनफूल, गोमदराम, गुमानाराम, बीरबलराम, जसली है जिनमें से टीकूराम का देहान्त हो चुका है। मृतक टीकूराम के जायज वारिसन प्रतिवादी संख्या 16ता 22 है। मुताबिक खसरा गिरदावरी के पुरा वल्द मदा का उनके जीवनकाल में लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त उनका अपनी भूमि पर रहा है तथा उनके देहान्त उपरान्त उनके विधिक वारिसन होने के नाते वादी संख्या 1 व अन्य वादीगण का कब्जा है एवं फसल काश्त की हुई खडी है जिस सम्बन्ध में पूर्व में उपनिवेशन विभाग के तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा गई रिपोर्ट संलग्न वाद पत्र है। पत्रावली पर आये तथ्यों एवं दस्तावेजो से बखूबी प्रमाणित है कि चक 14 एसजेएम–बी के मु0न0 281/379 के किला नं0 17ता25 के 9 बीघा यानि 2.770 हैक्टर एवं चक 14 एसजेएम–ए का मु0न0 280/381 के किला नं0 5ता25 में दुरूस्ती की जाकर चक 14 एसजेएम–बी के मु0न0 281/379 के किला नं0 17ता25 के 9 बीघा यानि 2.770 हैक्टर व चक 14 एसजेएम–ए का मु0न0 280/381 के किला नं0 5ता10 का 1/4 हिस्सा यानि 1बीघा 10 बिस्वा रकबा को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 31ता36 के नाम से उनके हिस्सा मुताबिक तथा इसी मु0न0 280/381 के किला नं0 5ता10 का शेष 3/4 हिस्सा रकबा यानि 4 बीघा 10 बिस्वा एवं किला नं.–11ता25 का शेष रकबा 15 बीघा आवंटी केशा, बिशना, गिरधारी पिसरान टोडा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1ता28, 37ता38 के [illegible] किया जाने का आदेश दिया जाना और उक्त हिस्सानुरूप प्रश्नगत भूमि में वा[illegible]तिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार [illegible] जारी की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.05.10 14:36:55 IST
Reason: SelfAttested

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 14 एसजेएम–बी के मु0न0 281/379 के किला नं0 17ता25 के 9 बीघा यानि 2.770 हैक्टर एवं चक 14 एसजेएम–ए का मु0न0 280/381 के किला नं0 5ता25 में दुरूस्ती की जाकर चक 14 एसजेएम–बी के मु0न0 281/379 के किला नं0 17ता25 के 9 बीघा यानि 2.770 हैक्टर व

चक 14 एसजेएम–ए का मु0न0 280/381 के किला नं0 5ता10 का 1/4 हिस्सा यानि 1बीघा 10 बिस्वा रकबा को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 31ता36 के नाम से उनके हिस्सा मुताबिक तथा इसी मु0न0 280/381 के किला नं0 5ता10 का शेष 3/4 हिस्सा रकबा यानि 4 बीघा 10 बिस्वा एवं किला नं.–11ता25 का शेष रकबा 15 बीघा आवंटी केशा, बिशना, गिरधारी पिसरान टोडा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1ता28, 37ता38 के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1ता28, 31ता38 को उक्तानुरूप खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणा का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने हेतु तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है।

उक्त घोषणा का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने के पश्चात प्रश्नगत कृषि भूमि में रास्ते व खाले को ध्यान में रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उसके हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार किला विभाजन हेतु किला विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 30 तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार स्वयं खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर सात दिवस के अन्दर–अन्दर इस न्यायालय को भिजवावें। प्राथमिक डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक–16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.05.10 14:56:55 IST
Reason: SelfAttested